

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

पार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
72/17	88, 89, 91, 53, 183, 188	कलकी वडी	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कलकी वडी	बनाम	सरदार सिंह	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

29/17 नकील वडी द्वारा एक नई अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 183, 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सरदार के अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार कर के सामान प्रतिवादी के तालब कर प्रकरण दिनांक 27/17 को पेश हो।

27/17 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में दिनांक 8/11/17 को पेश हो।

8/17 नकील वडी उपर प्रतिवादी नं. 1, 2, 4 के सम्मो वाद वापील खल्लवक पत्रकली दी. प्रतिवादी 1 ता 3 की कोर से श्री सुमराम सिंह हउठ को वकालत माग पेश वास्ते जवाब रिपत दिनांक 18.12.17 को पेश हो।

18/17 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में दिनांक 22-1-18 को पेश हो।

2/18 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में दिनांक 12-3-18 को पेश हो।

28/08 राजस्व लोक अदालत अभियान के रूप में जलिया पर प्रकरण पेश वादी प्रतिवादी मजके भाग उपर। सुन कर इसी बाद स सम्पन्नित डाला नं: 49/20/17 को कलकी वडी। जलिया के लमेकित किया जाता है। प्रकरण जलिया सुमाउ नम्बर 18 के अन्तर्गत।

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

18, 408
39/172

कलकी वडी लालाराम

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

7-24

पञ्जाबी पेश उक्त वकील नारी क हक नारी को
 वीर काउ आवाज लगवाव गरी कावकड हक
 के -पाना के उपर नही से उक्त नारी का
 काड अइक हाकरी अइक फेकी के खोरक किला
 गाल से पञ्जाबी मंदल अंगार लोक काड
 नमील वकील के दाखिल इफर हो

~~14~~